



Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment
Authority(SEIAA), Madhya Pradesh)

To,

The Lessee
 BIJAIYA IRON ORE MINES
 Civil Lines Katni MP -483501

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC) in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number SIA/MP/MIN/69224/2021 dated 02 Dec 2021. The particulars of the environmental clearance granted to the project are as below.

1. EC Identification No.	EC22B001MP137581
2. File No.	8510/2021
3. Project Type	New
4. Category	B1
5. Project/Activity including Schedule No.	1(a) Mining of minerals
6. Name of Project	Bijaiya Iron Ore Mine
7. Name of Company/Organization	BIJAIYA IRON ORE MINES
8. Location of Project	Madhya Pradesh
9. TOR Date	24 May 2021

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page no 2 onwards.

Date: 02/02/2022

(e-signed)
 Shriman Shukla
 Member Secretary
 SEIAA - (Madhya Pradesh)

Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification number & E-Sign generated from PARIVESH. Please quote identification number in all future correspondence.

This is a computer generated cover page.



संदर्भ: प्रस्ताव क्र. **SIA/MP/MIN/69224/2021** - प्रकरण क्र. 8510/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री संकल्प अग्रवाल, सिविल लाईन, जिला - कटनी (म.प्र.) द्वारा आयरन ऑर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 156525 टन प्रतिवर्ष, रकबा 4.92 हेक्टेयर, खसरा 66, 67, ग्राम बिजैया, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति।

भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं उपरांत के संशोधनों तथा राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा समय-समय पर जारी ज्ञापनों के परिपालन में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एवं प्रक्रिया अनुरूप परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव (क्र. **SIA/MP/MIN/69224/2021** एवं MP SEIAA में पंजीयन दिनांक 03.04.2021) एवं संबंधित अनिवार्य दस्तावेजों के आधार पर राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) के द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया।

II कार्यालय वनमंडलाधिकारी, वनमण्डल जिला जबलपुर के पत्र क्र. 833-34 दिनांक 12.02.2021 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ पारिस्थितिकीय संवेदी जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र की दूरी 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है। अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अक्षांश 23°21'25.290" से 23°21'34.204" और देशांतर 80°11'14.747" से 80°11'23.822" पर भौगोलिक निर्देशांक पर स्थित है।

उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 17.09.2021 को खनन क्षेत्र ग्राम बिजैया तहसील सीहोरा, जिला जबलपुर में अपर कलेक्टर, जबलपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

III. परियोजना पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त पैरा (II) के अनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई अभिप्रमाणित जानकारी तथा दस्तावेजों के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) की 701वीं बैठक दिनांक 12.01.2022 में विस्तृत विचार विमर्श उपरांत एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 534वीं बैठक दिनांक 15.12.2021 में प्रकरण पर की गई अनुशंसा के आधार पर विशिष्ट, साधारण/मानक शर्तें अधिरोपित करते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक श्री संकल्प अग्रवाल, सिविल लाईन, जिला - कटनी (म.प्र.) द्वारा आयरन ऑर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 156525 टन प्रतिवर्ष, रकबा 4.92 हेक्टेयर, खसरा 66, 67, ग्राम बिजैया, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.) को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों और तदुपरांत मानक शर्तों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अ. विशिष्ट शर्तें:

1. कार्यालय म.प्र. खनिज साधन विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-3-35/8/12/2 दिनांक 02.03.2009 के माध्यम से 20 वर्ष तक के लिये खदान स्वीकृत की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 01.03.2029 तक मान्य रहेगी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
5. खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी वादों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक वर्ष छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
8. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू-दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षों में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 5904 पौधे जैसे कनकचंपा, सागौन, गमहार, अंजीर, बाकली, देशी बदाम, शेहतूत, नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, कटंग बांस, अमलतास, गिलोय, तुलसी, एलोवेरा आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी।
13. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
14. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत

को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में अपशिष्ट दृव्य (Waste Water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।
16. परियोजना प्रस्तावक खदान के समीपस्थ (1 किलोमीटर की परिधि में) क्षेत्र में स्थित ट्यूबवैल, बोरवैल, कुओं/बावड़ीयों के जल की गुणवत्ता का प्रत्येक छः माह में आकलन कर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगत Zero Discharge पद्धति आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
19. मानसून के दौरान उत्खनन कार्य प्रतिबंधित रहेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का आकलन प्रत्येक छः माह में किया जाकर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान परिसर एवं परिवहन/पहुंच मार्ग पर प्रतिदिन दो बार पानी का छिड़काव किया जायेगा।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार खदान में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों का शासकीय चिकित्सालय से समन्वय कर चिकित्सा परीक्षण करवाया जायेगा।
23. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
24. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
25. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि माईनिंग लीज के अंदर मौजूद पेड़ों को नहीं काटा जायेगा।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
27. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम बिजैया के शासकीय स्कूल में छात्रों के लिये गरम कपड़े वितरित किये जायें।
- ग्राम बिजैया में ग्रामवासियों के लिये बोरवैल कराकर 02 हैण्डपम्प स्थापित किये जायें एवं उसके चारो ओर दीवार व रीचार्ज पिट बनाई जावे।
- ग्राम बिजैया में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व

आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
31. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
32. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

(अ) खनन के पूर्व चरण में :

33. पट्टे की सीमा का दिए गए कॉर्डिनेट्स के अनुसार स्पष्ट रूप से साइट पर सीमांकन किया जाये।
34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र के गैर खनन क्षेत्र से गुजरने वाली सड़क स्थानीय ग्रामीणों के आवागमन हेतु रास्ता देगा।
35. प्रस्तावित गतिविधि के लिए आवश्यक सहमति म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त की जाएगी और म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुशंसा के अनुसार वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण उपायों को प्रदर्शित करने हेतु स्थापित किया जाये।
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं ट्रांसबाउंडरी हथालन) नियम, 2016 के तहत प्रमाणीकरण (यदि आवश्यक हो) प्राप्त किया जाये।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग भी किया जाये।
38. यदि किसी पेड़ को काटा या उखाड़ा जाना प्रस्तावित है तो उसके लिए सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त की जाये।
39. धूल को कम करने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाये।
40. हाऊल रोड को नियमित अंतराल पर कॉम्पैक्ट बनाये रखेगा और परिवहन सड़क को पक्का (टार रोड) बनाया जाय तथा इसे खदान के संचालन से पहले बनाया जाये।
41. परियोजना प्रस्तावक संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक मंजूरी/एनओसी प्राप्त की जाये।

(स) खनन के परिचालन चरण में :

42. ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं की जाएगी खनन कार्य केवल बकेट एक्सावेशन (Bucket Excavation) द्वारा ही किया जाएगा।

43. पट्टे के सभी भाग की सीमाओं के चारों ओर घने वृक्षारोपण के माध्यम से साइट की कर्टेनिंग की जाएगी। प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना को खनन के साथ-साथ किया जाये और परियोजन प्रस्तावक द्वारा कैजुअल्टी रिप्लेसमेंट के साथ पांच साल तक रखरखाव किया जाये। प्रारंभ में, एक वर्ष में के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने हेतु साइट की सीमा पर घना वृक्षारोपण विकसित (तीन पंक्तियों में) किया जाये।
44. परियोजना क्षेत्र की सीमा के चारों ओर वृक्षारोपण में बारहमासी, सदाबहार, घने - छावदार, तेज बढ़ने वाली प्रजातियों के कम से कम 2.0 मीटर लंबे पौधों का उपयोग किया जाये। प्रस्तावित लैंडस्केप प्लान और पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार, कम से कम 5904 पेड़ परिवहन मार्ग के किनारे में लगाए जाये।
45. खनिज का परिवहन ढके हुए वाहनों में किया जाये।
46. खनिज का परिवहन वन क्षेत्र से नहीं किया जाये।
47. ओवर बर्डन जैसे मुरुम का उपयोग सड़क के रखरखाव और पुनर्भरण के लिए किया जाये। परियोजना प्रस्तावक आईबीएम से अनुमोदित फाइनल क्लोजर प्लान का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।
48. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 500मी. लंबी 06मी. चौड़ी हॉल रोड में वाटर स्प्रिलिंग टेकर के माध्यम से किया जाये, जबकि 70मी. लंबी 06मी. चौड़ी परिवहन रोड पर धूल धमन को कम करने हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा।
49. सभी गारलैंड ड्रेन को सेटलिंग पिट्स के माध्यम से सेटलिंग टैंक से जोड़ा जाएगा और सेटल हुए पानी का उपयोग धूल दमन, हरित पट्टी विकास के लिए किया जाये। नालों और गड्ढों की नियमित सफाई की जाये।
50. क्षेत्र के सामाजिक उत्थान के लिए उपयुक्त एवं प्रस्तुत गतिविधियां की जाएंगी तथा इसके लिए आरक्षित निधि का उपयोग ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाए। इसके अलावा स्थानीय पंचायत के समन्वय से किसी भी आवश्यकता के आधार और उचित गतिविधि की जा सकती है।
51. परियोजना प्रस्तावक पर्याप्त सावधानी बरतेंगे ताकि खनन कार्यों के दौरान वनस्पतियों और जीवों को कोई नुकसान न हो।
52. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जन सुनवाई में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जाये।

(द) परिजोजना के सम्पूर्ण कार्यावधि में:

53. प्रस्तावित पर्यावरण प्रबंधन योजना में पूंजीगत लागत रु. 17.92 लाख रुपये और आवर्ती व्यय के रूप में रु.6.94 लाख प्रति वर्ष प्रस्तावित है।
54. कंपनी की पर्यावरण नीति को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए और इसे निगरानी प्रकोष्ठ के माध्यम से लागू किया जाये। यदि प्रदूषण को नियंत्रण के लिए उपशमन उपायों के लिए आवंटित पर्यावरण प्रबंधन योजना के बजट का पूरी तरह से उपयोग नहीं होता है, तो पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए बजटीय प्रावधानों के कम उपयोग होने के कारणों को वार्षिक विवरणी में संबोधित किया जाये।
55. वित्तीय जवाबदेही के लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत ली गयी गतिविधियों में किए गए सभी खर्चों के लिए एक अलग बैंक खाता रखा जाये और ये विवरण वार्षिक पर्यावरण विवरण में प्रदान किए जाये।

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित और SEAC द्वारा अनुमोदित सभी गतिविधियों / शमन उपायों (mitigative measures) को सुनिश्चित किया जाये।
2. SEAC द्वारा अनुमोदित पर्यावरण निगरानी योजना में सूचीबद्ध सभी मापदंडों की निगरानी अनुमोदित स्थानों और आवृत्तियों पर की जाये।
3. ब्लास्ट वाइब्रेशन का अध्ययन किया जाएगा और छह महीने के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और एम.पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा। अध्ययन में आस-पास के घरों और कृषि क्षेत्रों पर ब्लास्टिंग से जुड़े प्रभाव की रोकथाम के उपाय भी उपलब्ध कराये जाये।
4. अनुक्रमिक ड्रिलिंग (Sequential drilling) के साथ कंट्रोल ब्लास्टिंग तकनीकों को अपनाया जाए एवं ब्लास्टिंग केवल दिन में ही की जाये।
5. Mining bench की ढलान और फाईनल गड्ढे की सीमा भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार होगी।
6. खदान बंद करने की फाइनल योजना, कॉर्पस फंड के विवरण के साथ, अनुमोदन के लिए खदान बंद होने से 5 साल के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाये।
7. उत्खनन, खनिज की मात्रा और अपशिष्ट सहित कैलेंडर योजना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाये।
8. खनन कार्य, स्वीकृत खनन योजना के अनुसार किया जाये। खनन योजना में किसी भी तरह उल्लंघन के मामले में, SEIAA द्वारा दी गई पर्यावरण स्वीकृति रद्द हो जाएगी।
9. लगातार दो खनिज युक्त निक्षेपों के बीच पर्याप्त बफर जोन बनाए रखा जाये।
10. खनन क्षेत्र से निकाले गये खनिजों का परिवहन केवल दिन के समय में ही किया जाये।
11. स्थानीय सड़के, जिसके माध्यम से खनिजों का परिवहन किया जाता है, का रखरखाव कंपनी द्वारा नियमित रूप से अपने खर्च पर किया जायेगा।
12. मृदा अपरदन (Soil erosion) की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा गाद के प्रबंधन के उपाय किये जायेंगे। भू-टेक्स्टाइल मैटिंग या अन्य उपयुक्त सामग्री से डंप के कटाव को रोका जाएगा, और डंप की ढलानों पर स्थानीय प्रजाति के पेड़ों और झाड़ियों का घना वृक्षारोपण किया जाये। डंप को सुरक्षित रखने हेतु रिटेनिंग वॉल्स बनाया जाये।
13. जलाशयों में गाद को जाने से रोकने के लिए डंप के तल पर ट्रेंचेस/ गारलैंड ड्रेन्स का निर्माण किया जाये साथ ही नियमित अंतराल पर Coco filters लगाए जाये। उत्खनन पट्टा क्षेत्र से बहने वाले मौसमी/बारहमासी नाले (यदि कोई) में गाद के जमाव को रोकने हेतु पर पर्याप्त संख्या में चेक डैम एवं गुली प्लग्स का निर्माण कराया जाये। नियमित अंतराल पर गाद निकालने का कार्य किया जाये।
14. परियोजना प्रस्तावक खदान के गड्ढे, कचरे के ढेर और गारलैंड ड्रेन के आसपास आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करे।
15. ऊपरी सतह की उपजाऊ मिट्टी/ठोस कचरे का ढेर उचित ढलान और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ बनाया जाये और खनन किए गए क्षेत्र के पुनर्भरण (जहां लागू हो) और भूमि सूधार के लिए उपयोग करे। ऊपरी सतह की उपजाऊ मिट्टी को बाद में उपयोग के लिए अलग से ढेर किया जाए एवं ओवर बर्डन के साथ ढेर नहीं किया जाये।

16. ओवर बर्डन (OB) को केवल निर्धारित डंप साइट (साइटों) पर ही रखा जाए और लम्बे समय तक नहीं रखा जाए। डंप की अधिकतम ऊंचाई 20 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक चरण की अधिकतम ऊंचाई 10 मीटर होना चाहिए और डंप की ढलान 35° से अधिक नहीं होना चाहिए। ओबी डंप को बैकफिल्ड किया जाएगा और कटाव और सतह के अपवाह को रोकने के लिए उपयुक्त स्थानीय प्रजाति के पेड़ों के साथ वैज्ञानिक रूप से वृक्षारोपण किया जाये।
17. पुनर्वासित क्षेत्रों की निगरानी और प्रबंधन तब तक जारी रहेगा जब तक कि वनस्पति पूर्ण विकसित न हो जाए। अनुपालन की स्थिति छह मासिक आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।
18. पौधों की प्रजातियों के चयन सहित CPCB के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए और स्थानीय डी. एफ.ओ./ कृषि विभाग के परामर्श से हरित पट्टी का विकास किया जाएगा। वृक्षों के अलावा जड़ी-बूटियाँ और झाड़ियाँ भी वृक्षारोपण कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। वृक्षारोपण कार्यक्रम में कंपनी द्वारा स्थानीय लोगों को भी शामिल करेगा। खनन क्षेत्र के पुनर्वास सहित वर्षवार वृक्षारोपण कार्यक्रम का विवरण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हर साल प्रस्तुत किया जाएगा।
19. वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रण में रखा जाएगा और इसकी नियमित रूप से निगरानी की जाएगी। खनिजों तथा अन्य के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों के पास केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 और इसके संशोधनों के तहत निर्धारित वैध अनुमतियाँ होनी चाहिए। खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुक्त से ढाका जाएगा ताकि परिवहन के दौरान धूल के कण/ सुक्ष्म कण बाहर न निकल सकें। खनिजों के परिवहन में ओवरलोडिंग नहीं की जाये। खनिजों का परिवहन वन्य जीव अभ्यारण्य (यदि कोई हो) से नहीं करेगा।
20. RSPM, SPM, SO₂, NO_x की निगरानी के लिए कोर जोन के साथ-साथ बफर जोन में चार परिवेशी वायु गुणवत्ता-निगरानी (एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग) स्टेशन स्थापित करेगा। स्टेशनों का स्थान मौसम संबंधी आंकड़ों, टोपोग्राफिकल विशेषताओं और पर्यावरण और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील लक्ष्यों के आधार पर तय किया जाना चाहिए और निगरानी की आवृत्ति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से की जानी चाहिए। मानदंड प्रदूषकों के लिए निगरानी किए गए डेटा को नियमित रूप से अपलोड किया जाये एवं कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाये।
21. परिवेशी वायु गुणवत्ता (RPM, SPM, SO₂, NO_x) पर डेटा नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने में एक बार प्रस्तुत किया जाये।
22. खनन परिसर की सीमा पर परिवेशी वायु गुणवत्ता को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना संख्या जीएसआर/826 (ई) दिनांक 16.11.09 में निर्धारित मानदंडों की पुष्टि की जाये।
23. सभी स्रोतों से आने वाले धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित किया जाएगा। हॉल रोड, लोडिंग और अनलोडिंग और ट्रांसफर पॉइंट्स पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी और इसका उचित रखरखाव किया जाये। क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमित रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले मानदंडों और रिकॉर्ड के अनुसार धूल उत्सर्जन की नियमित रूप से निगरानी की जाये।

24. काम के माहौल में 75 DB से नीचे के शोर के स्तर को नियंत्रित करने के उपाय किये जाये। HEMM आदि के संचालन में लगे कामगारों को ईयर प्लग/मफ्स उपलब्ध कराए जाएं और कामगारों के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड बनाए जायें।
25. भूजल स्रोत को रिचार्ज करने के लिए वर्षा जल संचयन किया जाएगा। क्रियान्वयन की स्थिति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने के भीतर और उसके बाद अगले वर्ष से प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाएगी।
26. खनन कार्य के दौरान मौजूदा कुओं के नेटवर्क स्थापित करके और नए पीजोमीटर का निर्माण करके भूजल और सतही जल स्रोतों के स्तर और गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाएगी। निगरानी वर्ष में चार बार की जाएगी अर्थात् प्री-मानसून (अप्रैल-मई), मानसून (अगस्त), पोस्ट-मानसून (नवंबर) और सर्दी (जनवरी) और इस प्रकार एकत्रीत किए गए डेटा को नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय भूजल बोर्ड को भेजा जाएगा।
27. खदान से निकलने वाले अपशिष्ट जल (यदि कोई हो) को जीएसआर 422 (ई) दिनांक 19 मई, 1993 और 31 दिसंबर, 1993 के तहत निर्धारित मानकों एवं उसमें हुए समय-समय पर संशोधित के अनुरूप उपचार किया जाना सुनिश्चित किया जाये। खदान की कार्यशाला से उत्पन्न अपशिष्टों को प्राकृतिक धारा में प्रवाहित करने से पहले (यदि कोई हो) के लिए तेल और ग्रीस ट्रेप स्थापित किया जाये। टेलिंग बांध से छोड़े गए पानी, (यदि कोई हो) की नियमित रूप से निगरानी की जाए एवं क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्र के जल-भूवैज्ञानिक अध्ययन की वार्षिक समीक्षा की जाएगी। यदि भूजल की गुणवत्ता और मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो खनन बंद कर दिया जाएगा और भूजल पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के उपायों को लागू करने के बाद ही फिर से शुरू किया जाएगा।
29. खनन कार्यों से संबंधित स्वास्थ्य खतरों की पहचान, मलेरिया उन्मूलन, एचआईवी, और खनिज धूल के संपर्क में स्वास्थ्य प्रभाव आदि सहित श्रमिकों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य जांच की जाये। श्रमिकों पर श्वसन योग्य खनिज धूल के संपर्क में आने के लिए आवधिक निगरानी की जाएगी और श्रमिकों के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड बनाया जाये। खनन से उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में श्रमिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और व्यक्तिगत उपकरणों आदि के उपयोग जैसे एहतियाती उपायों को समय-समय पर चलाया जाएगा। विभिन्न स्वास्थ्य उपायों के प्रभाव की समीक्षा की जाएगी और जहां कहीं आवश्यक हो, अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी। मांगे जाने पर इसे निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक धनराशि भी निर्धारित की जानी चाहिए।
30. परियोजना प्रस्तावक खदान श्रमिकों के लिए आश्रय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
31. धूल भरे क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण प्रदान किए जाएंगे और उन्हें सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी भी प्रदान की जाये।
32. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CER) के प्रति प्रतिबद्धता का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
33. खनन गतिविधियों के प्रभाव से आसपास की बस्तियों को बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये।

34. परियोजना प्रस्तावक वित्तीय समापन (फाइनैसियल क्लोजर) होने की तारीख और संबंधित अधिकारियों द्वारा परियोजना की अंतिम मंजूरी और भूमि विकास कार्य शुरू होने की तारीख के बारे में क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित करेगा।
35. निर्धारित आवश्यक धनराशि को केवल पर्यावरण संरक्षण कार्यों हेतु आरक्षित किया जायेगा इस राशि का उपयोग अन्य कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा। इस धनराशि को अलग खाते में सुरक्षित रखा जायेगा और इस राशि के व्यय की वर्षवार सूचना क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया जाना आवश्यक होगा।
36. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की निगरानी करेंगे। पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन योजना, जन सुनवाई और अन्य आवश्यक एवं संबंधित दस्तावेज क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया जाना आवश्यक होगा।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की एक प्रति स्थानीय निकायों, पंचायत और नगरीय निकायों के प्रमुखों, जैसा लागू हो, साथ ही सरकार के संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराएगा जिसे पर्यावरण स्वीकृति प्राप्ति दिनांक से आगामी 30 दिनों तक सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करना होगा।
38. परियोजना स्वीकृति पत्र जारी होने के 7 दिनों के भीतर प्रस्तावक परियोजना द्वारा कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देगा, जिनमें से एक संबंधित इलाके की स्थानीय भाषा में होगा में यह सूचित प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई है जिसकी एक प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) की वेबसाइट www.mpseiaa.nic.in पर भी उपलब्ध है एवं इसकी एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल को भेजी जाएगी।
39. परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सीपीसीबी और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।
40. जन सुनवाई के दौरान दिए गए परामर्श – सुझाव/सुधार एवं सिफारिशों के संबंध में कार्य योजना तैयार कर छह महीने के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।
41. परियोजना प्रस्तावक को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 1 जून और 1 दिसंबर को निर्धारित पूर्व पर्यावरण स्वीकृति नियमों और शर्तों की अर्धवार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन नियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं MP SEIAA) को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी।
42. राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, म.प्र. के पास बाद में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को जोड़ने का अधिकार है, और यदि आवश्यक हो तो, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत

पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने सहित कार्रवाई करने का अधिकार भी है, ताकि सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को समयबद्ध और संतोषजनक तरीके से सुनिश्चित किया जा सके।

43. इन शर्तों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक दायित्व (बीमा) अधिनियम, 1991 और ईआईए अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के तहत लागू किया जाएगा।
44. मंत्रालय या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी पर्यावरण संरक्षण के हित में शर्तों में परिवर्तन/संशोधन कर सकता है या कोई और शर्त निर्धारित कर सकता है।
45. तथ्यात्मक जानकारी को छुपाने या झूठे/गढ़े हुए दस्तावेज प्रस्तुत करने और ऊपर उल्लिखित किसी भी शर्त का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप इस मंजूरी को वापस लिया जा सकता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है।
46. इस पूर्व पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ कोई भी अपील राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 16 के तहत निर्धारित 30 दिनों की अवधि के भीतर, (यदि आवश्यक हो, तो) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के पास होगी।
47. अन्य सभी वैधानिक मंजूरी जैसे मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, अग्निशमन विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 आदि से डीजल के भंडारण के लिए अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जैसा कि संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा परियोजना प्रस्तावको को लागू किया जाएगा।
48. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपनी वेबसाइट पर निगरानी डेटा के परिणामों सहित निर्धारित पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन की स्थिति अपलोड करेगा और इसे समय-समय पर अपडेट करेगा साथ ही इसे क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल सीपीसीबी के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजा जाएगा। मानदंड प्रदूषक स्तर अर्थात् SPM, RSPM, SO₂, NO_x (एम्बिएंट स्तर के साथ-साथ स्टैक उत्सर्जन) अथवा परियोजना के लिए संकेतित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मानकों की निगरानी की जाएगी एवं कंपनी के मुख्य द्वार के पास सार्वजनिक सूचना हेतु एक सुविधाजनक स्थान पर प्रदर्शित किया जाये।
49. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक फॉर्म-V में पर्यावरण विवरण, जैसा कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत निर्धारित किया गया है (तथा बाद में संशोधित अनुसार), को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन की स्थिति को कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाये साथ ही एमओईएफ के क्षेत्रीय कार्यालय को भी भेजा जाय।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला जबलपुर (म.प्र.)
5. संभागीय वन अधिकारी, जिला जबलपुर (म.प्र.)

6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. जिला खनिज अधिकारी, जिला जबलपुर (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

